

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :- 83/2017-18

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सोमा तिडू वो चन्द्रमोहन तिडू

- विक्रेता

प्रदीप गुड़िया

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

01.08.19

आदेश

आवेदक सोमा तिडू वो चन्द्रमोहन तिडू पिता स्व० ठुमा मुण्डा ग्राम-मुण्डा कुंजला, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने प्रदीप गुड़िया पिता स्व० मंगरा गुड़िया ग्राम-मुण्डा कुंजला, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
कुंजला	249	27	1327	0.10

अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 866 दिनांक 26.11.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आवेदन देते हुए सूचित किया गया है कि आवेदित भूमि पर रास्ता का विवाद है जिसके कारण वाद का अनुमति कराना नहीं चाहते हैं।

अतः अधिवक्ता के अनुरोध पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।